

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. Of Uttarakhand Undertaking)
Electricity Distribution Division
Bhagwanpur Phone: 01332 - 232355



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विद्युत वितरण खण्ड भगवानपुर
दूरभाष: 01332 232355

पत्रांक 2650 / वि० वि० ख० भगवानपुर / तकनीकी

दिनांक 28/6/2022

विषय Estimate for Shifting of 11 kv Nanheda Rural feeder Near Calix Harbal Company at Nanheda के प्राक्कलन की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

Mrs. Tavneet D/o Sh. Baljeet
Vill-Nanheda Anantpur
Bhagwanpur

महोदय

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक Null के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है। कि आपके अनुरोध पर प्रस्तावित कार्य की उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियमों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार प्राक्कलन व लाईनवर्क धनराशि रु०.102841.00 + जी०एस०टी० रु०.22811.00 कुल अनुमानित लागत रु०.125652.00 है। उक्त राशि को इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने तक ज़रूरी समझावधि कम हो के अन्दर -2 इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आप उक्त कार्य को कराये जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके उक्त कार्य हेतु जारी आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे। उक्त धनराशि नगद या एन० ई० एफ० टी० (खाता संख्या 4882002100003550, I.F.S.C.CODE.PUNB0488200, P.N.B. Main Bazaar Bhagwanpur,) में अथवा बैंक ड्रफ्ट के माध्यम से स्वीकार की जायेंगे।

नोट:- 1. उपरोक्त डिमांड नोट इस शर्त के साथ प्रेषित की जाती है, कि यदि सम्पादित कार्य की कुल धनराशि (सामग्री + भुगतान + टैक्स) को जोड़ते हुए वर्तमान में मांगी गई राशि से अधिक होती है तो उक्त राशि का भुगतान आपके द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

2. कार्य करने के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान (Right of Way) का समाधान आपके द्वारा किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में कार्य का सम्पादन रोक दिया जायेगा।

3. रु० 2.00 लाख व इससे अधिक की धनराशि सिर्फ बैंक ड्रफ्ट अथवा आर० टी० जी० एस०/एन० ई० एफ० टी० के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। आर० टी० जी० एस०/एन० ई० एफ० टी० से जमा किये जाने पर उसकी पायती आवेदनकृता द्वारा खण्ड कार्यालय से प्राप्त की जायेगी।

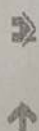
पत्रांक 2650 / वि० वि० ख० भ० / तकनीकी दिनांक 28/6/2022
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड भगवानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य रोकडिया(रा०) विद्युत वितरण खण्ड भगवानपुर।

(अनिल कुमार मिश्रा)
अधिशासी अभियन्ता

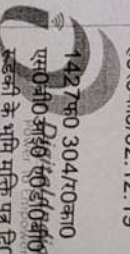
(अनिल कुमार मिश्रा)
अधिशासी अभियन्ता

11/11/22
UTR SAN-422315259943



खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रतीक्षा करें।

ग्राम का नाम : नन्हेडा अनन्तपुर	पराना : (भावानपुर)	तहसील : रुडकी	जनपद : हरिद्वार	फसली वर्ष : 1423-1428	भाग : 1	खता संख्या : 00525
खतादार का नाम / भिता परी संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अदेश	दिष्णी	
श्रेणी : 1-क / भूमि जो सड़कमण्णय अधिकार वाले भूमिधारी के अधिकारमे हो						
शमीम अहमद / शकील / नि- ग्राम नकीस अहमद / शकील / नि- ग्राम मौ0 असलम / शकील / नि- ग्राम मौ0 वसीम अहमद / शकील / नि- ग्राम फईम अहमद / शकील / नि- ग्राम	पू01415फ0 पू01415फ0	398 719	1.4369 1.1211	यह खता पू0डी0बी0 रुडकी से फईम अहमद ने 50,000/- लेकर बंधक की है। ह0अ0च0ले0/ अदेश श्रीमान शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 से मौ0 असलम ने बैंक रुडकी से दिनांक 02.02.09 को 1,80,000/- लेकर बंधक किया है। ह0अ0च0ले0/13.02.02 श्रीमान कार्यालय साधन/क्रिसन सहकारी समिति निवासी नन्हेडा अनन्तपुर से दिनांक 19.03.09, मौ0 असलम पुत्र शकील ने 47,000/- लेकर बंधक की। ह0अ0च0ले0/23.03.09 1423फ0 (57र0क0) एस0बी0आई0 पू0डी0बी0 रुडकी के बंधक पत्र स0 57र0क0/03.10.15 के अनुसार नकीस अहमद पुत्र रच0 शकील निवासी ग्राम ने खसरा नं0 398, 719, 732 को बंधक कर रू0 2,89,000/- का ऋण लिया है। ह0र0क0/06.10.15	1426फ0 246र0क0 इण्डियन बैंक रुडकी के बंधक पत्र दि0 22.10.18 से मौ0 वसीम अहमद उर्फ वसीम पुत्र शकील ने ख0नं0 398, 719 को बंधक कर रू0 1,61,000/- का ऋण लिया है। ह0र0क0/26.10.18 1427फ0 260र0क0 एस0बी0आई0 पू0डी0बी0 रुडकी के भूमि मुक्ति पत्र दि0 03.05.19 से नकीस अहमद पुत्र शकील ने ख0नं0 398, 719 पर लिया गया ऋण रू0 2,89,000/- व 3,00,000/- अदा कर दिया है। ह0र0क0/02.12.19	
Disclaimer: उक्त ऑनकई मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कमप्यूटर केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। Data Updaded Upto: Tue Nov 09 16:37:00 IST 2021 Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun. Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)						
 1427फ0 304र0क0 एस0बी0आई0 पू0डी0बी0 रुडकी के भूमि मुक्ति पत्र दि0 20.11.19 से नकीस पुत्र शकील अहमद ने ख0नं0 732, 398,						

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति) NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रतीक्षा करें।					
ग्राम का नाम : नल्हेडा अनन्तपुर	परामा : (भाबानपुर)	तहसील : रूडकी	जनपद : हरिद्वार	फसली वर्ष : 1423-1428	भाग : 1
					खाता संख्या : 00525
					1423फ0 (57र0का0) एस0बी0आई0 ए0डी0बी0 रूडकी के बंधक पत्र सं0 58र0का0/03.10.15 के अनुसार फईम अहमद पुर रूडकी शकील निवासी ग्राम ने खसरा नं0 398, 719, 732 को बंधक कर रू0 2,89,000/- का ऋण लिया है। हर0का0/06.10.15
					1423फ0 (266र0का0) नल्हेडा अनन्तपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 के भूमि मुक्ति पत्र दिनांक 23.10.15 के अनुसार मौ0 असलम पुर शकील ने अपनी भूमि खसरा नं0 398, 691, 719 की भूमि पर लिया ऋण रू0 47,000/- अदा कर दिया है। हर0का0/29.10.2015
					1423फ0 (52र0का0) एस0बी0आई0 ए0डी0बी0 रूडकी के बंधक पत्र दिनांक 04.11.2015 के अनुसार मौहम्मद असलम पुर शकील अहमद ने अपनी भूमि खसरा नं0 398, 719, 732 को बंधक कर रू0 2,41,000/- का ऋण लिया है। हर0का0/07.11.2015
					1424फ0 (168र0का0) एस0बी0आई0 ए0डी0बी0 रूडकी के भूमि बंधक पत्र दिनांक 24.04.2017 के अनुसार नफीस अहमद पुर रूडकी शकील निवासी ग्राम ने अपनी भूमि खसरा सं0 398, 719, 732 को भागानुसार बंधक कर रू0 3,00,000/- का ऋण लिया है। हर0का0/25.04.2017
					1427फ0 न्यायालय तहसीलदार रूडकी वार्द सं0 1634/18-19 दिनांक 04.01.2020 को आदेश हुआ कि खाता सं0 525 के खसरा नं0 398/1.4369है0 की अपनी कुल भूमि 0.28738है0 भू-सं0 रू0
Disclaimer: उक्त ऑनक्रेडिट मात्र अनंतोक्तनार्थ है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। Data Updated Upto: Tue Nov 09 16:37:00 IST 2021 Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun. Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)					719 पर लिया गया ऋण रू0 2,89,000/- व 3,00,000/- अदा कर दिया है। हर0का0/02.12.19
					1429फ0 110र0का0 एस0बी0आई0 ए0डी0बी0 रूडकी के भूमि मुक्ति पत्र दि0 09.09.2020 के अनुसार मौहम्मद असलम पुर शकील ने अपनी भूमि के खसरा सं0 398, 719 की भूमि पर लिया हुआ ऋण रू0 2,41,000/- को अदा कर दिया है। हर0का0/13.08.2021

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)
NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रतीक्षा करें।

ग्राम का नाम : नल्हेडा अनन्तपुर	परगना : (भगवानपुर)	तहसील : रुडकी	जनपद : हरिद्वार	फसली वर्ष : 1423-1428	भाग : 1	खाता संख्या : 00525
						11.40 से विक्रेता नफीस अहमद पुत्र शकील निवासी ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके केता केता राकेश कुमार जैन पुत्र स्वराज सिंह जैन निवासी म0न0 227 गंगा विहार हरिद्वार रोड ऋषिकेश जिला देहरादून व कमल अरोरा पुत्र हरीश कुमार अरोरा निवासी म0न0 415 गली नं0 3 राजेन्द्र नगर रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम बतौर सं0भूमिधर द्वारा बैनामा सं0 4781/08.05.19 अंकन 24,00,000/- अंकित हो। ह0र0का0/04.01.2020 1428फ0 न्यायालय तहसीलदार रुडकी वाद सं0 2277/19-20 दिनांक 30.12.2020 को आदेश हुआ कि खाता सं0 525 के खसरा नं0 398/1.4369है0 के भागानुसार मे से 0.4498है0 भू-रा0 रु0 17.85 से विक्रेता शमीम अहमद, मोहम्मद असलम, मोहम्मद वसीम अहमद, फईम अहमद पुत्रगण शकील निवासी ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके केता अमित पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम डन्डेरा परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार व इस्तकार राव पुत्र गफफार अहमद निवासी म0न0 234 ग्राम डन्डेरा परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार हाल निवासी म0न0 489/2ए मोहल्ला सोत रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम द्वारा बैनामा रजि0 सं0 6701/18.09.2020 अंकन 7,00,000/- से बतौर सं0भूमिधर अंकित हो। ह0र0का0/30.12.2020 1428फ0 न्यायालय तहसीलदार रुडकी वाद सं0 2314/19-20 दिनांक 12.03.2021 को आदेश हुआ कि खाता सं0 525 के खसरा
Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कंप्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।						
Data Updated Upto: Tue Nov 09 16:37:00 IST 2021						
Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.						
Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)						

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रतीक्षा करें।

भाग : 1 खाता संख्या : 00525

ग्राम का नाम : नल्हेडा अनन्तपुर

परगना : (भागवानपुर)

तहसील : रूडकी

जनपद : हरिद्वार

फसली वर्ष : 1423-1428

नं0 398/1.4369है0 के भागानुसार मे से 0.2732है0 भू-रा0 रू0 10.80 से विक्रेता शमीम अहमद, मौहम्मद असलम, मौहम्मद वसीम अहमद, फईम अहमद पुराण शकील निवासी ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर परगना भागवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके केला मुस्तजाब, उमैर, मुबीन, मअज, तल्हा पुराण इकराम निवासी ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर परगना भागवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार का नाम द्वारा बैनामा रजि0 सं0 3818/09.09.2020 अंकन 9,00,000/- से बतौर सं0भूमिपर अंकित हो। ह0रा0का0/24.03.2021

1428फ0 न्यायालय तहसीलदार रूडकी बाद सं0 1858/17-18 दिनांक 11.02.2021 को आदेश हुआ कि खाता सं0 526 खसरा नं0 732/1.3910है0 की अपनी कुल भूमि 0.2782है0 भू-रा0 रू0 8.65 व खाता सं0 525 के खसरा नं0 719/1.121है0 की अपनी कुल भूमि 0.2242है0 भू-रा0 रू0 8.90 से विक्रेता शमीम अहमद पुत्र शकील निवासी ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर परगना भागवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके केला बिलकिश फत्नी जावेद निवासी 525 भारत नगर रूडकी परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार व कमरुनिशा फत्नी तमरेज निवासी 60 राजीव जोयाल मार्ग रौबीपुरा देहरादून जिला देहरादून का नाम द्वारा बैनामा रजि0 सं0 4914/16.05.2018 अंकन 12,00,000/- से बतौर सं0भूमिपर अंकित हो। ह0रा0का0/24.03.2021

1428फ0 न्यायालय तहसीलदार रूडकी बाद सं0 544/20-21 दिनांक 25.03.2021 को आदेश हुआ कि खाता सं0 525 के खसरा नं0 398/1.4369है0 का अपना कुल भाग 0.2874है0 भू-रा0 रू0 5.00

Disclaimer: उक्त ऑनकडे मात्र अवलोकनार्थ है. तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Data Updated Up to: Tue Nov 09 16:37:00 IST 2021

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)

खाला विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रतीक्षा करें।

भाग : 1 खाला संख्या : 00525

से विक्रेता राकेश कुमार जैन पुत्र स्वराज सिंह जैन निवासी 227 गंगा बिहार हरिद्वार रोड ऋषिकेश जिला देहरादून व कमल अरोरा पुत्र हरिग कुमार अरोरा निवासी 415 गली नं0 3 राजेन्द्र नगर रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके केला मुस्ताजाब, उमैर, मुजीब, मअंजब, तल्हा पुत्राण इकराम निवासी ग्राम नल्हेडा अमनपुर परगना भागानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम द्वारा बैनामा रजि0 सं0 6753/19.09.2020 अंकन 20.00,000/- से बतौर सं0 भूमिधर अक्रित हो। ह0र0का0/15.04.2021

ग्राम का नाम : नल्हेडा अमनपुर	परगना : (भागानपुर)	तहसील : रुडकी	जनपद : हरिद्वार	फसली वर्ष : 1423-1428	2	2.5580
योग						

Disclaimer: उक्त ऑफरडे मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कंप्यूटर केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Data Updated Upto: Tue Nov 09 16:37:00 IST 2021

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)

का
(2.) बाहोदार द्वारा देय
मान्यकारी का
अनाज

परिचयन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारोप उसकी संख्या तथा दिनांक
तहिल और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

दिनांक

6

7-12

13

का नाम द्वारा बैनामा रजिड नं० 4914/16.05.2018 अंकन 12,00,000/-
से बतौर नं० भूमिधर अंकित हो। ह० र० का०/24.03.2021

1429/10 न्यायालय तहसीलदार रुडकी बाब नं० 544/20-21 दिनांक
25.03.2021 को आदेश हुआ कि खाता नं० 525 के खसरा नं०
398/1 4369/10 का अपना कुल भाग 0.2874/10 मु-रा० रु० 5.00 से
विशेषा रामेश कुमार जैन पुत्र स्वराज सिंह जैन निवासी 227 सेवा बिहार
हरिद्वार रोड अचिकेश जिला देहरादून व रामेश चरेशा पुत्र हरीश कुमार
अपना निवासी 415 गली नं० 3 राजेन्द्र नगर रुडकी परगना व तहसील
रुडकी जिला हरिद्वार का नाम धारित करके कता मुसलमान, उमैर, मुसीब,
मक़ाज, ताता भुवमण इकराम निवासी ग्राम मन्नेडा अमनपुर परगना
ममवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम द्वारा बैनामा रजिड नं०
6753/19.09.2020 अंकन 20,00,000/- से बतौर नं० भूमिधर अंकित हो।
ह० र० का०/15.04.2021

1429/10 न्यायालय तहसीलदार रुडकी बाब नं० 737/21-
22/08.04.2022 को आदेश हुआ कि खाता नं० 525 के खसरा नम्बर 398
खसरा नं० 1 4369/10 से से अपना कुल भाग 0.2548/10 मु-रा० रु०
11.00/- भूमि से विशेषा अमित पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम हन्नेरा परगना व
तहसील रुडकी व इमरकार राव पुत्र गणेश अहमद निवासी मकान नं०
235 ग्राम हन्नेरा हाज निवासी मकान नं० 489/2ए मौहन्ना मोत रुडकी
परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम धारित करके कता
तहसील पुरी वनजीत सिंह निवासी गली नं० 08 रामपुर रोड हन्दाणी
तहसील हन्दाणी जिला देसीताल का नाम द्वारा बैनामा रजिस्ट्री नं० 789
दिनांक 20.01.2022 अंकन रु० 12,34,000/- से बतौर मक़मलीय
भूमिधर अंकित हो। ह० र० का०/ 13.04.2022

1429/10 न्यायालय तहसीलदार रुडकी बाब नं० 762/21-
22/07.04.2022 को आदेश हुआ कि खाता नं० 525 के खसरा नम्बर 398
खसरा नं० 1 4369/10 के अपना भाग से से 0.1950/10 मु-रा० रु० 7.75/-
भूमि से विशेषा अमित पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम हन्नेरा परगना व तहसील
रुडकी व इमरकार राव पुत्र गणेश अहमद निवासी मकान नं० 235 ग्राम
हन्नेरा हाज निवासी मकान नं० 489/2ए मौहन्ना मोत रुडकी परगना व
तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम धारित करके कता तहसील पुरी
वनजीत सिंह निवासी गली नं० 08 रामपुर रोड हन्दाणी तहसील हन्दाणी
जिला देसीताल का नाम द्वारा बैनामा रजिस्ट्री नं० 788 दिनांक
20.01.2022 अंकन रु० 09,44,000/- से बतौर मक़मलीय भूमिधर अंकित
हो। ह० र० का०/ 13.04.2022

Ky049-02525

5647-5200

गुप्त की गण / प्रत्यक्ष - मंडल अन्तर्गत (महानगर)

महानगर - मंडल

अवधि : प्रतिदिन

प्रारंभिक वर्ष : 1423-1428

उद्देश्य वहीनी



अधिकार प्राप्त वहीनी के अधिकार के
र की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /

प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /

प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /

प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /

प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /

प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /
प्रत्यक्ष की गण / प्रत्यक्ष की गण /





खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2	3	4	5	6	7-12

अरोरा निवासी म0नं0 415 गली नं0 3 राजेन्द्र नगर रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम बतौर सं0भूमिधर द्वारा बैनामा सं0 4781/08.05.19 अंकन 24,00,000/- अंकित हो।

ह0र0का0/04.01.2020

1428फ0 न्यायालय तहसीलदार रुडकी वाद सं0 2277/19-20 दिनांक 30.12.2020 को आदेश हुआ कि खाता सं0 525 के खसरा नं0 398/1.4369है0 के भागानुसार मे से 0.4498है0 भू-रा0 रू0 17.85 से विक्रेता शमीम अहमद, मौहम्मद असलम, मौहम्मद वसीम अहमद, फईम अहमद पुत्रगण शकील निवासी ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके क्रेता अमित पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम डन्हेरा परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार व इस्तकार राव पुत्र गफफार अहमद निवासी म0नं0 234 ग्राम डन्हेरा परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार हाल निवासी म0नं0 489/2ए मौहल्ला सात रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम द्वारा बैनामा रजि0 सं0 6701/18.09.2020 अंकन 7,00,000/- से बतौर सं0भूमिधर अंकित हो। ह0र0का0/30.12.2020

1428फ0 न्यायालय तहसीलदार रुडकी वाद सं0 2314/19-20 दिनांक 12.03.2021 को आदेश हुआ कि खाता सं0 525 के खसरा नं0 398/1.4369है0 के भागानुसार मे से 0.2732है0 भू-रा0 रू0 10.80 से विक्रेता शमीम अहमद, मौहम्मद असलम, मौहम्मद वसीम अहमद, फईम अहमद पुत्रगण शकील निवासी ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके क्रेता मुस्तजाव, उमैर, मजीब, मआज, तल्हा पुत्रगण इकराम निवासी ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम द्वारा बैनामा रजि0 सं0 3818/09.09.2020 अंकन 9,00,000/- से बतौर सं0भूमिधर अंकित हो। ह0र0का0/24.03.2021

1428फ0 न्यायालय तहसीलदार रुडकी वाद सं0 1858/17-18 दिनांक 11.02.2021 को आदेश हुआ कि खाता सं0 526 खसरा नं0 732/1.3910है0 की अपनी कुल भूमि 0.2782है0 भू-रा0 रू0 8.65 व खाता सं0 525 के खसरा नं0 719/1.1211है0 की अपनी कुल भूमि 0.2242है0 भू-रा0 रू0 8.90 से विक्रेता शमीम अहमद पुत्र शकील निवासी ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके क्रेता विलकिश पत्नी जावेद निवासी 525 भारत नगर रुडकी परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार व कमरुनिशा पत्नी तमरंज निवासी 60 राजीव जोग्याल मार्ग गैचीपुरा देहरादून जिला देहरादून

उद्धरण खतौनी



खता खतौनी
क्रम संख्या
1

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/
निवास स्थान

2

भौमिक अधिकार
प्रारम्भ होने का वर्ष

3

खाते के प्रत्येक
गाटे की खसरा
संख्या

4

प्रत्येक गाटे का
क्षेत्रफल (हे.)

5

खातेदार द्वारा देय
मालमुजारी या
लगान

6

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक
सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

7-12

का नाम दाना बैनामा रजि0 सं0 4914/16.05.2018 अंकन 12.00.000/-
से वतौर सं0 भूमिधर अंकित हो। ह0र0का0/24.03.2021
1428फ0 न्यायालय तहसीलदार रूडकी वाद सं0 544/20-21 दिनांक
25.03.2021 को आदेश हुआ कि खाता सं0 525 के खसरा नं0
398/1.4369 है0 का अपना कुल भाग 0.2874 है0 सू-रा0 रू0 5.00 से
विक्रेता रमेश कुमार जैन पुत्र स्वराज सिंह जैन निवासी 227 गंगा विहार
हरिद्वार रोड कृषिकेश जिला देहरादून व कमल अरोरा पुत्र हरीश कुमार
अरोरा निवासी 415 गली नं0 3 राजेन्द्र नगर रूडकी परगना व तहसील
रूडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके क्रेता मुस्तजाव, उमैर, मुजीब,
मजराज, लहो पुत्रगण इकराम निवासी ग्राम नल्लेडा अनन्तपुर परगना
भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार का नाम द्वारा बैनामा रजि0 सं0
6753/19.09.2020 अंकन 20.00.000/- से वतौर सं0 भूमिधर अंकित हो।
ह0र0का0/15.04.2021
1429फ0 न्यायालय तहसीलदार रूडकी वाद सं0 737/21-
22/08.04.2022 को आदेश हुआ कि खाता सं0 525 के खसरा नम्बर 398
क्षेत्रफल 1.4369 है0 में से अपना कुल भाग 0.2548 है0 सू-रा0 रूपये
11.00/- भूमि से विक्रेता अमित पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम डल्हेरा परगना व
तहसील रूडकी व इस्तकार राव पुत्र गणकार अहमद निवासी मकान नं0
235 ग्राम डल्हेरा हाल निवासी मकान नं0 489 / 2ए मौहल्ला सोत रूडकी
परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके क्रेता
तवनीत पुत्री वनजीत सिंह निवासी गली नं0 08 रामपुर रोड हल्द्वानी
तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल का नाम द्वारा बैनामा रजिस्ट्री सं0 789
दिनांक 20.01.2022 अंकन रू0 12.34.000/- से वतौर संक्रमणीय
भूमिधर अंकित हो। ह0र0का0/ 13.04.2022
1429फ0 न्यायालय तहसीलदार रूडकी वाद सं0 762/21-
22/07.04.2022 को आदेश हुआ कि खाता सं0 525 के खसरा नम्बर 398
क्षेत्रफल 1.4369 है0 के अपना भाग में से 0.1950 है0 सू-रा0 रूपये 7.75/-
भूमि से विक्रेता अमित पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम डल्हेरा परगना व तहसील
रूडकी व इस्तकार राव पुत्र गणकार अहमद निवासी मकान नं0 235 ग्राम
डल्हेरा हाल निवासी मकान नं0 489/2ए मौहल्ला सोत रूडकी परगना व
तहसील रूडकी जिला हरिद्वार का नाम खारिज करके क्रेता तवनीत पुत्री
वनजीत सिंह निवासी गली नं0 08 रामपुर रोड हल्द्वानी तहसील हल्द्वानी
जिला नैनीताल का नाम द्वारा बैनामा रजिस्ट्री सं0 788 दिनांक
20.01.2022 अंकन रू0 9.44.000/- से वतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित
हो। ह0र0का0/ 13.04.2022

उद्धरण खतौनी



खतौनी
क्रम संख्या
1

घातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/
निवास स्थान

2

भौमिक अधिकार
प्रारम्भ होने का वर्ष

3

घाते के प्रत्येक
गाटे की खसरा
संख्या

4

प्रत्येक गाटे का
क्षेत्रफल (हि.)

5

घातेदार द्वारा देय
मालगुजारी या
लगान

6

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक
सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

7-12

1430फ0 न्यायालय उप जिलाधिकारी/महायक कलक्टर प्रथम श्रेणी रुडकी
बाद सं0 207/21-22, अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0, मौजा नल्हेडा
अनन्तपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार, तबनीत प्रुकी
बलजीत सिंह निवासी गली नं0 8 रामपुर रोड हल्द्वानी तहसील हल्द्वानी
जिला नैनीताल वनाम सरकार, बाद उपरोक्त में इस न्यायालय के आदेश
दिनांक 08.09.2022 के अन्तर्गत भूमि मौजा नल्हेडा अनन्तपुर परगना
भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खाता सं0 525
खाते का रकबा 2.5580है0 के गाटा/खसरा नं0 398म से से रकबा
0.1950है0 में मौके पर कृषि, वागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट
पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है, मौके पर इस भूमि पर औद्योगिक इकाई
हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या
अन्य सरकारी योजना में प्रभावित नहीं है। इसलिये इस भूमि को मैसर्स
जीएनई लाईफसाइम्स प्रा0लि0 का जी0एम0टी0 नं0
05एएजेसीजी90एम1जेड1 व सूडम, लघु एवं मध्यम मन्त्रालय में
पंजीकरण संख्या उद्यम-डीएल-10-0030849 के उपयोग हेतु धारा 143
ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया
जाता है तथा उक्त के अतिरिक्त वादी के द्वारा भविष्य में बादप्रस्त उक्त
अपने हिस्से व काविज भूमि का प्रयोग ग्रुप हाउसिंग हेतु नहीं करेगा और न
ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिरहण या अन्य किसी सरकारी मुआवजे का लाभ
भविष्य में किसी प्रकार से प्राप्त करेगा। यह आदेश वादी को बादप्रस्त उक्त
भूमि का अपने निजि मैसर्स जीएनई लाईफसाइम्स प्रा0लि0 स्थित नल्हेडा
अनन्तपुर तहसील रुडकी में स्थित उद्यान के उपयोग हेतु ही मान्य होगा,
आदि शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा। उक्त अकृषिक भूमि का भू-राजस्व
को नियमानुसार मौजा नल्हेडा अनन्तपुर परगना भगवानपुर तहसील रुडकी
जिला हरिद्वार की उक्त खाते से कम किया जाये। बाद में राज्य सरकार एवं
प्रभावी पक्षकार का हित सुरक्षित रहेगा।
1- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित
जनहित याचिका संख्या- 119 / 2013 अनुज केमल वनाम उत्तराखण्ड राज्य
आदि में पारित आदेश दिनांक 11-10-2018 एवं आदेश के पैना-14(5)
The State Government shall not permit the use of agricultural
land recorded in revenue records as agricultural land to be
converted for group housing complexes taking into
consideration the acute shortage of farming land in the
state of Uttarakhand it is made clear that this will not apply
to a farmer who wants to build a house for him self, as per



उद्धरण खतौनी

Pages

दार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/

निवास स्थान

2

भौमिक अधिकार
प्रारम्भ होने का वर्ष

घाते के प्रत्येक
गोटे की खसरा
संख्या

प्रत्येक गोटे का
क्षेत्रफल (हे.)

घातेदार द्वारा देय
मालजुबारी या
लगान

7-12

13

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक
सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

दिप्पणी

2 2 5580

the UPZA end LR act suitable legislation is made, is made. In other words, there shall be ban on conversation of agricultural land orchard land for construction of group housing projects/complexes, including by the societies. II the enactment of का अक्षरशः अनुपालन करेगा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विपरीत भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

2- यदि बादी/आवेदनकर्तागण अनुसूचित/जनजाति संवर्ग से है और वादग्रस्त भूमि पट्टे आदि से प्राप्त हुई है, तो वादग्रस्त भूमि को नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही विक्रय कर सकेगा। यदि कोई प्रतिफल तथ्य संज्ञान/प्रकाश में आने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

3- यदि बादी/आवेदक प्रथमतः भूमि अपने निजि प्रयोग/उपयोग में नहीं लाया जाता है अथवा पत्रावली में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत तथ्य के प्रकाश में आने पर अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

4- प्रश्नगत वादग्रस्त उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिग्रहण के मुआवजे हेतु प्रयोग में नहीं लायी जायेगी। यदि बादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिग्रहण के मुआवजे लेने हेतु प्रयोग में लायी जाती है या उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाये।

ह0र0का0/19.09.2022

अफल: दो दशमलव पाँच पाँच आठ कुल भू-राजस्व: एक शून्य एक दशमलव चार शून्य

igned by : BIJENDRA KUMAR

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : रुड़की

दिनांक एवं समय :

जनपद : हरिद्वार

29-09-2022 01:56:17 PM

लेक्ट्रॉनिक दिल्लीवनी मिन्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हमनाश्रित है।